

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5833 /

जबलपुर, दिनांक 30/11/2019

दो-13-18/19

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/चार, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2012/नियम /चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री वंशमणि कुशवाहा, जमादार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक 08/05/2019 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 247 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति अन्य वारिसों द्वारा अनापत्ति के आलोक में उक्त राशि मृतक के ज्येष्ठ पुत्र श्री रमेश कुशवाहा पिता स्व. श्री वंशमणी कुशवाहा, जमादार को भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. B/5834 /

जबलपुर, दिनांक 30/11/2019

दो-13-18/19

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे.) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री रमेश कुशवाहा पिता स्व. श्री वंशमणी कुशवाहा, जमादार उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर पता-लाल माटी साहू मोहल्ला सिद्ध बाबा वार्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)